

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 21, गुरूवार, शाके 1944-अक्टूबर 13, 2022 Asvina 21, Thursday, Saka 1944- October 13, 2022

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञिप्तियों। श्रम, कौशन नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 08, 2022

संख्या एफ.1(ए)विविध/एरिया/2018-पार्ट-11-00570 :-राज्य सरकार श्री डायालाल डामोर को कारखाना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 63 सन् 1948) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इस अधिनियम के तहत मुख्य निरीक्षक कारखाना उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियुक्त करती है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाएं रद्द की जाती है।

राज्यपाव की आजा से,

परमेश्वर लाल,

विशिष्ट शासन सचिव।

Labour, Skills, Employment & Entrepreneurship Department Notification Jaipur, September 08, 2022

No:F.1(A)Misc/Area/2018-Part-II-00570 .- In exercise of powers conferred by subsection (2) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the State Government hereby appoints Shri Dayalal Damor as Chief Inspector of Factories for the purpose of the said Act.

This supersedes all previous notification issued in this respect.

By order of Governor

Parmeshwar Lal; Special Secretary to the Govt.

श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 08, 2022

संख्या एफ.1(ए)विविध/एरिया/2018-पार्ट-II-00570 :-राज्य सरकार श्री डायालाल डामोर को बॉयलर अधिनियम. 1923 (केन्द्रीय अधिनियम 5 सन् 1923) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इस अधिनियम के तहत मुख्य निरीक्षक बॉयलर उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियुक्त करती है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाएं रद्द की जाती है।

राज्यपाल की आजा से,

परमेश्वर लाल, विशिष्ट शासन सचिव।

Labour, Skills, Employment & Entrepreneurship Department

Notification

Jaipur, September 08, 2022

No:F.1(A)Misc/Area/2018-Part-II-00570 .-In exercise of powers conferred by subsection (4) of Section 5 of the Boilers Act, 1923 (Central Act 5 of 1923), the State Government hereby appoints Shri Dayalal Damor as Chief Inspector of Boilers for the purpose of the said Act.

This supersedes all previous notification issued in this respect.

By order of Governor

Parmeshwar Lal.

Special Secretary to the Govt.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।